# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

**सूचना अधिकार अपील / 128 / 2020**

**अपींलाट श्री किशनाराम पुत्र श्री आसूराम**
**निवासी ग्राम कबूली पंचायत जांभोजी का मंदिर पंचायत समिति धोरीमन्ना बाड़मेर**

**बनाम**

**राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर**

## आदेश

दिनांक : 11.01.2021

अपीलार्थी श्री किशनाराम पुत्र श्री आसूराम निवासी ग्राम कबूली पंचायत जांभोजी का मंदिर पंचायत समिति धोरीमन्ना बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 18.12.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या शून्य दिनांक शून्य का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना पत्र क्रमांक 930 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है, इस प्रकार प्रार्थना–पत्र निर्धारित समयावधि में निस्तारित कर दिया गया है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना–पत्र निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:01:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.01.2021 को न्यायालय [illegible] सुनाया गया।

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर